ड्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 448] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 1972/आश्विन 3, 1894

No. 448] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 1972/ASVINA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September 1972

SO. 651(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970), and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. F. 1(7)-PSB-NB/71, dated the 17th November, 1971, and the 15th March, 1972, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Third Amendment) Scheme, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, (hereinafter referred to as the said Scheme), in clause 15, in sub-clause (1), for the word "five", the word "six" shall be substituted.

3. In the Second Schedule to the said Scheme,--

(a) in item 2, for the words and brackets "States of Assam (including Meghalaya), Nagaland, West Bengal, Bihar and Orissa and the Union territories of Manipur, Tripura and the Andaman and Nicobar Islands", the words "States of West Bengal, Bihar and Orissa and the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands" shall be substituted;

(b) after item 2, the following item shall be inserted, namely:—

"2A. The North Eastern Area shall consist of the States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura and the Union territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.";

(c) for item 4, the following item shall be substituted, namely:—

"4. The Northern Area shall consist of the States of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Rajasthan and the Union territories of Chandigarh and Delhi."

[No. F. 8/7/72/BOI.]

D. N. GHOSH, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1972

का० आ० 651(अ).—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की अधिसूचनाएं स० एफ० 1(7)-पी एम बी-एन बी/71, तारीख 17 नवम्बर, 1971 और 15 मार्च, 1972 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (तृतीय संशोधन) स्कीम, 1972 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है), खण्ड 15 में, उपखण्ड (1) में "पांच" शब्द के स्थान पर "छह" शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त स्कीम की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) मद 2 में, "असम (जिसमें मेघालय सम्मिलित है), नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्यों तथा मणिपुर, त्रिपुरा तथा अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्रों से" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों तथा अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्रों से" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद 2 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"2 क उत्तरपूर्वी क्षेत्र असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोराम के संघ राज्यक्षेत्रों से मिलकर बनेगा।"

(ग) मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"उत्तरी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों तथा चण्डीगढ़ और दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्रों से मिलकर बनेगा।"

[सं० एफ० 8/7/72–डी ओ I]

डी० एन० घोष, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972